न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.   /2018 पुनरीक्षण 1/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1496

किशोरी पुत्र मुलुआ चमार
निवासी ग्राम बरेठी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. अर्जुन सिंह   2. राम सिंह

3 शिवराज सिंह   4. गुलाब सिंह

पुत्रगण स्व. जुझार सिंह

5. कल्याण सिंह पुत्र करन सिंह

6. प्रतिपाल सिंह पुत्र करन सिंह

7. हनुमत सिंह   8. रनमत सिंह

9. कृष्णपाल सिंह   10. भगवत सिंह
पुत्रगण स्व. हल्के सिंह

11. देवकीराजा उर्फ नन्हीबाई पत्नी स्व.हल्के सिंह
सभी निवासीगण ग्राम बरेठी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एड.
द्वारा आज दि. 28-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 2-3-18 नियत।
28-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
28-2-18 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक /15/निग./अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 15.01.18 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, नायब तहसीलदार बसारी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 75/अ-19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 द्वारा भूमि खसरा नं. 740/2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 1496

किशोर विरूद्ध अर्जून सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 15/निग./अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15–01–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 18/02/2019	